



अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

20 वी प्राधिकरण बोर्ड बैठक
दिनांक 06.07.21

अध्यक्ष
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर



अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर



क्रमांक / अविप्रा / संस्था / प.1 / 2021 /

दिनांक

बैठक कार्यवाही विवरण

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की 20 वी. प्राधिकरण बैठक दिनांक 06.07.2021 को अध्यक्ष, अजमेर विकास प्राधिकरण, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

बैठक में निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

1. श्रीमती बृजलता हाड़ा, मेयर, नगर निगम, अजमेर।
2. श्री प्रकाश राजपुरोहित, जिला कलेक्टर, अजमेर एवं अध्यक्ष अ.वि.प्रा, अजमेर।
3. श्री कमल पाठक, सभापति नगर पालिका, पुष्कर।
4. श्री अक्षय गोदारा, आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
5. श्री किशोर कुमार, सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
6. श्री अशोक कुमार चौधरी, सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
7. श्री पुनित शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर।
8. श्री मनोज कुमार शर्मा, अधिशाषी अभियंता (प्रतिनिधि) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, अजमेर।
9. श्री मुरारीलाल मीणा, सभापति मुख्य अभियंता, विद्युत वितरण निगम, लिमिटेड अजमेर।
10. श्री सी.के.बसंत अधिशाषी अभियंता, (प्रतिनिधि) अतिरिक्त मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग।
11. श्री त्रिलोचन कुमावत अधिशाषी अभियंता (प्रतिनिधि) सभापति, नगर परिषद किशनगढ़।
12. श्री अनिल गुप्ता, निदेशक (अभियान्त्रिकी) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
13. श्रीमती नीता विजय मिश्रा, निदेशक (विधि) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
14. श्री प्रेमचन्द कनौजिया, सहायक लेखाधिकारी (प्रतिनिधि), अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सदस्यगणों का सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा स्वागत किया गया। स्वागतोपरान्त अजमेर विकास प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 19.04.2021 में लिये गये निर्णयों की अनुपालना से अवगत करवाया गया।

इसके पश्चात् बिन्दुवार ऐजेण्डा के समस्त बिन्दुओं पर प्राधिकरण की बैठक में अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से कार्यवाही प्रारम्भ कर निम्नानुसार चर्चा कर निर्णय लिये गये:-

(Handwritten signatures and initials)



अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर



अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की दिनांक 06.07.2021 को आयोजित होने वाली 20 वीं प्राधिकरण बैठक का कार्यवाही विवरण।

प्रस्ताव संख्या	विवरण	अनुभाग
1	दिनांक 19.04.2021 को आयोजित प्राधिकरण की 19 वी. बैठक में लिए गये प्रस्तावों की पुष्टि। निर्णय:- प्राधिकरण की बैठक में समस्त सदस्यों ने सर्वसम्मति से गत बैठक दिनांक 19.04.2021 की प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णयों की सर्वसम्मति से पुष्टि की।	सचिव
2	Widening of Road and Construction of Divider Work at Jaipur Road From Ashok Udhyan To MDS Tiraha Ajmer के Deviation Statement, Extra Item, Final Time Extension प्रकरण की स्वीकृति हेतु प्राधिकरण बैठक के प्रस्ताव पर चर्चा। कार्य का नाम:- Widening of Road and Construction of Divider Work at Jaipur Road From Ashok Udhyan To MDS Tiraha Ajmer संवेदक का नाम :- M/s H.S. Mehta Infra Pvt Ltd कार्यादेश क्रमांक, दिनांक :- 15988 Date: 18-10-2017 कार्यादेश लागत :- 60007833.00 कार्य प्रारम्भ की निर्धारित तिथि :- 27.10.2017 कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि :- 26.01.2019 कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि :- 22.11.2019 कार्य में कुल देरी :- 296 Days A. समयावधि प्रकरण (Time Extension) 1. चूंकि उक्त सड़क NH के अधीन आती है जिसके सम्बन्ध में NOC भी कार्यादेश से पूर्व ही प्राप्त कर ली गई। कार्यादेश जारी करने के पश्चात् संवेदक को मौके पर जैसे ही ले-आउट दिया गया मौके पर विभिन्न प्रकार की Utilities जैसे PHED Line, BSNL Cable, Electric Poles, NH का नाला नगर निगम Gantry रोड़ के मध्य में पाई गई, जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों को पत्र प्रेषित किये गये। इसके अतिरिक्त Drainage के	निदेशक अभियांत्रिकी

अ. ग. रूपा 12 13/11/21 14/11/21 15/11/21 16/11/21 17/11/21 18/11/21 19/11/21 20/11/21 21/11/21 22/11/21 23/11/21 24/11/21 25/11/21 26/11/21 27/11/21 28/11/21 29/11/21 30/11/21 01/12/21 02/12/21 03/12/21 04/12/21 05/12/21 06/12/21 07/12/21 08/12/21 09/12/21 10/12/21 11/12/21 12/12/21 13/12/21 14/12/21 15/12/21 16/12/21 17/12/21 18/12/21 19/12/21 20/12/21 21/12/21 22/12/21 23/12/21 24/12/21 25/12/21 26/12/21 27/12/21 28/12/21 29/12/21 30/12/21 31/12/21 01/01/22 02/01/22 03/01/22 04/01/22 05/01/22 06/01/22 07/01/22 08/01/22 09/01/22 10/01/22 11/01/22 12/01/22 13/01/22 14/01/22 15/01/22 16/01/22 17/01/22 18/01/22 19/01/22 20/01/22 21/01/22 22/01/22 23/01/22 24/01/22 25/01/22 26/01/22 27/01/22 28/01/22 29/01/22 30/01/22 31/01/22 01/02/22 02/02/22 03/02/22 04/02/22 05/02/22 06/02/22 07/02/22 08/02/22 09/02/22 10/02/22 11/02/22 12/02/22 13/02/22 14/02/22 15/02/22 16/02/22 17/02/22 18/02/22 19/02/22 20/02/22 21/02/22 22/02/22 23/02/22 24/02/22 25/02/22 26/02/22 27/02/22 28/02/22 29/02/22 30/02/22 01/03/22 02/03/22 03/03/22 04/03/22 05/03/22 06/03/22 07/03/22 08/03/22 09/03/22 10/03/22 11/03/22 12/03/22 13/03/22 14/03/22 15/03/22 16/03/22 17/03/22 18/03/22 19/03/22 20/03/22 21/03/22 22/03/22 23/03/22 24/03/22 25/03/22 26/03/22 27/03/22 28/03/22 29/03/22 30/03/22 31/03/22 01/04/22 02/04/22 03/04/22 04/04/22 05/04/22 06/04/22 07/04/22 08/04/22 09/04/22 10/04/22 11/04/22 12/04/22 13/04/22 14/04/22 15/04/22 16/04/22 17/04/22 18/04/22 19/04/22 20/04/22 21/04/22 22/04/22 23/04/22 24/04/22 25/04/22 26/04/22 27/04/22 28/04/22 29/04/22 30/04/22 01/05/22 02/05/22 03/05/22 04/05/22 05/05/22 06/05/22 07/05/22 08/05/22 09/05/22 10/05/22 11/05/22 12/05/22 13/05/22 14/05/22 15/05/22 16/05/22 17/05/22 18/05/22 19/05/22 20/05/22 21/05/22 22/05/22 23/05/22 24/05/22 25/05/22 26/05/22 27/05/22 28/05/22 29/05/22 30/05/22 31/05/22 01/06/22 02/06/22 03/06/22 04/06/22 05/06/22 06/06/22 07/06/22 08/06/22 09/06/22 10/06/22 11/06/22 12/06/22 13/06/22 14/06/22 15/06/22 16/06/22 17/06/22 18/06/22 19/06/22 20/06/22 21/06/22 22/06/22 23/06/22 24/06/22 25/06/22 26/06/22 27/06/22 28/06/22 29/06/22 30/06/22 01/07/22 02/07/22 03/07/22 04/07/22 05/07/22 06/07/22 07/07/22 08/07/22 09/07/22 10/07/22 11/07/22 12/07/22 13/07/22 14/07/22 15/07/22 16/07/22 17/07/22 18/07/22 19/07/22 20/07/22 21/07/22 22/07/22 23/07/22 24/07/22 25/07/22 26/07/22 27/07/22 28/07/22 29/07/22 30/07/22 31/07/22 01/08/22 02/08/22 03/08/22 04/08/22 05/08/22 06/08/22 07/08/22 08/08/22 09/08/22 10/08/22 11/08/22 12/08/22 13/08/22 14/08/22 15/08/22 16/08/22 17/08/22 18/08/22 19/08/22 20/08/22 21/08/22 22/08/22 23/08/22 24/08/22 25/08/22 26/08/22 27/08/22 28/08/22 29/08/22 30/08/22 31/08/22 01/09/22 02/09/22 03/09/22 04/09/22 05/09/22 06/09/22 07/09/22 08/09/22 09/09/22 10/09/22 11/09/22 12/09/22 13/09/22 14/09/22 15/09/22 16/09/22 17/09/22 18/09/22 19/09/22 20/09/22 21/09/22 22/09/22 23/09/22 24/09/22 25/09/22 26/09/22 27/09/22 28/09/22 29/09/22 30/09/22 01/10/22 02/10/22 03/10/22 04/10/22 05/10/22 06/10/22 07/10/22 08/10/22 09/10/22 10/10/22 11/10/22 12/10/22 13/10/22 14/10/22 15/10/22 16/10/22 17/10/22 18/10/22 19/10/22 20/10/22 21/10/22 22/10/22 23/10/22 24/10/22 25/10/22 26/10/22 27/10/22 28/10/22 29/10/22 30/10/22 31/10/22 01/11/22 02/11/22 03/11/22 04/11/22 05/11/22 06/11/22 07/11/22 08/11/22 09/11/22 10/11/22 11/11/22 12/11/22 13/11/22 14/11/22 15/11/22 16/11/22 17/11/22 18/11/22 19/11/22 20/11/22 21/11/22 22/11/22 23/11/22 24/11/22 25/11/22 26/11/22 27/11/22 28/11/22 29/11/22 30/11/22 01/12/22 02/12/22 03/12/22 04/12/22 05/12/22 06/12/22 07/12/22 08/12/22 09/12/22 10/12/22 11/12/22 12/12/22 13/12/22 14/12/22 15/12/22 16/12/22 17/12/22 18/12/22 19/12/22 20/12/22 21/12/22 22/12/22 23/12/22 24/12/22 25/12/22 26/12/22 27/12/22 28/12/22 29/12/22 30/12/22 31/12/22 01/01/23 02/01/23 03/01/23 04/01/23 05/01/23 06/01/23 07/01/23 08/01/23 09/01/23 10/01/23 11/01/23 12/01/23 13/01/23 14/01/23 15/01/23 16/01/23 17/01/23 18/01/23 19/01/23 20/01/23 21/01/23 22/01/23 23/01/23 24/01/23 25/01/23 26/01/23 27/01/23 28/01/23 29/01/23 30/01/23 31/01/23 01/02/23 02/02/23 03/02/23 04/02/23 05/02/23 06/02/23 07/02/23 08/02/23 09/02/23 10/02/23 11/02/23 12/02/23 13/02/23 14/02/23 15/02/23 16/02/23 17/02/23 18/02/23 19/02/23 20/02/23 21/02/23 22/02/23 23/02/23 24/02/23 25/02/23 26/02/23 27/02/23 28/02/23 29/02/23 30/02/23 01/03/23 02/03/23 03/03/23 04/03/23 05/03/23 06/03/23 07/03/23 08/03/23 09/03/23 10/03/23 11/03/23 12/03/23 13/03/23 14/03/23 15/03/23 16/03/23 17/03/23 18/03/23 19/03/23 20/03/23 21/03/23 22/03/23 23/03/23 24/03/23 25/03/23 26/03/23 27/03/23 28/03/23 29/03/23 30/03/23 31/03/23 01/04/23 02/04/23 03/04/23 04/04/23 05/04/23 06/04/23 07/04/23 08/04/23 09/04/23 10/04/23 11/04/23 12/04/23 13/04/23 14/04/23 15/04/23 16/04/23 17/04/23 18/04/23 19/04/23 20/04/23 21/04/23 22/04/23 23/04/23 24/04/23 25/04/23 26/04/23 27/04/23 28/04/23 29/04/23 30/04/23 01/05/23 02/05/23 03/05/23 04/05/23 05/05/23 06/05/23 07/05/23 08/05/23 09/05/23 10/05/23 11/05/23 12/05/23 13/05/23 14/05/23 15/05/23 16/05/23 17/05/23 18/05/23 19/05/23 20/05/23 21/05/23 22/05/23 23/05/23 24/05/23 25/05/23 26/05/23 27/05/23 28/05/23 29/05/23 30/05/23 31/05/23 01/06/23 02/06/23 03/06/23 04/06/23 05/06/23 06/06/23 07/06/23 08/06/23 09/06/23 10/06/23 11/06/23 12/06/23 13/06/23 14/06/23 15/06/23 16/06/23 17/06/23 18/06/23 19/06/23 20/06/23 21/06/23 22/06/23 23/06/23 24/06/23 25/06/23 26/06/23 27/06/23 28/06/23 29/06/23 30/06/23 01/07/23 02/07/23 03/07/23 04/07/23 05/07/23 06/07/23 07/07/23 08/07/23 09/07/23 10/07/23 11/07/23 12/07/23 13/07/23 14/07/23 15/07/23 16/07/23 17/07/23 18/07/23 19/07/23 20/07/23 21/07/23 22/07/23 23/07/23 24/07/23 25/07/23 26/07/23 27/07/23 28/07/23 29/07/23 30/07/23 31/07/23 01/08/23 02/08/23 03/08/23 04/08/23 05/08/23 06/08/23 07/08/23 08/08/23 09/08/23 10/08/23 11/08/23 12/08/23 13/08/23 14/08/23 15/08/23 16/08/23 17/08/23 18/08/23 19/08/23 20/08/23 21/08/23 22/08/23 23/08/23 24/08/23 25/08/23 26/08/23 27/08/23 28/08/23 29/08/23 30/08/23 31/08/23 01/09/23 02/09/23 03/09/23 04/09/23 05/09/23 06/09/23 07/09/23 08/09/23 09/09/23 10/09/23 11/09/23 12/09/23 13/09/23 14/09/23 15/09/23 16/09/23 17/09/23 18/09/23 19/09/23 20/09/23 21/09/23 22/09/23 23/09/23 24/09/23 25/09/23 26/09/23 27/09/23 28/09/23 29/09/23 30/09/23 01/10/23 02/10/23 03/10/23 04/10/23 05/10/23 06/10/23 07/10/23 08/10/23 09/10/23 10/10/23 11/10/23 12/10/23 13/10/23 14/10/23 15/10/23 16/10/23 17/10/23 18/10/23 19/10/23 20/10/23 21/10/23 22/10/23 23/10/23 24/10/23 25/10/23 26/10/23 27/10/23 28/10/23 29/10/23 30/10/23 31/10/23 01/11/23 02/11/23 03/11/23 04/11/23 05/11/23 06/11/23 07/11/23 08/11/23 09/11/23 10/11/23 11/11/23 12/11/23 13/11/23 14/11/23 15/11/23 16/11/23 17/11/23 18/11/23 19/11/23 20/11/23 21/11/23 22/11/23 23/11/23 24/11/23 25/11/23 26/11/23 27/11/23 28/11/23 29/11/23 30/11/23 01/12/23 02/12/23 03/12/23 04/12/23 05/12/23 06/12/23 07/12/23 08/12/23 09/12/23 10/12/23 11/12/23 12/12/23 13/12/23 14/12/23 15/12/23 16/12/23 17/12/23 18/12/23 19/12/23 20/12/23 21/12/23 22/12/23 23/12/23 24/12/23 25/12/23 26/12/23 27/12/23 28/12/23 29/12/23 30/12/23 31/12/23 01/01/24 02/01/24 03/01/24 04/01/24 05/01/24 06/01/24 07/01/24 08/01/24 09/01/24 10/01/24 11/01/24 12/01/24 13/01/24 14/01/24 15/01/24 16/01/24 17/01/24 18/01/24 19/01/24 20/01/24 21/01/24 22/01/24 23/01/24 24/01/24 25/01/24 26/01/24 27/01/24 28/01/24 29/01/24 30/01/24 31/01/24 01/02/24 02/02/24 03/02/24 04/02/24 05/02/24 06/02/24 07/02/24 08/02/24 09/02/24 10/02/24 11/02/24 12/02/24 13/02/24 14/02/24 15/02/24 16/02/24 17/02/24 18/02/24 19/02/24 20/02/24 21/02/24 22/02/24 23/02/24 24/02/24 25/02/24 26/02/24 27/02/24 28/02/24 29/02/24 30/02/24 01/03/24 02/03/24 03/03/24 04/03/24 05/03/24 06/03/24 07/03/24 08/03/24 09/03/24 10/03/24 11/03/24 12/03/24 13/03/24 14/03/24 15/03/24 16/03/24 17/03/24 18/03/24 19/03/24 20/03/24 21/03/24 22/03/24 23/03/24 24/03/24 25/03/24 26/03/24 27/03/24 28/03/24 29/03/24 30/03/24 31/03/24 01/04/24 02/04/24 03/04/24 04/04/24 05/04/24 06/04/24 07/04/24 08/04/24 09/04/24 10/04/24 11/04/24 12/04/24 13/04/24 14/04/24 15/04/24 16/04/24 17/04/24 18/04/24 19/04/24 20/04/24 21/04/24 22/04/24 23/04/24 24/04/24 25/04/24 26/04/24 27/04/24 28/04/24 29/04/24 30/04/24 01/05/24 02/05/24 03/05/24 04/05/24 05/05/24 06/05/24 07/05/24 08/05/24 09/05/24 10/05/24 11/05/24 12/05/24 13/05/24 14/05/24 15/05/24 16/05/24 17/05/24 18/05/24 19/05/24 20/05/24 21/05/24 22/05/24 23/05/24 24/05/24 25/05/24 26/05/24 27/05/24 28/05/24 29/05/24 30/05/24 31/05/24 01/06/24 02/06/24 03/06/24 04/06/24 05/06/24 06/06/24 07/06/24 08/06/24 09/06/24 10/06/24 11/06/24 12/06/24 13/06/24 14/06/24 15/06/24 16/06/24 17/06/24 18/06/24 19/06/24 20/06/24 21/06/24 22/06/24 23/06/24 24/06/24 25/06/24 26/06/24 27/06/24 28/06/24 29/06/24 30/06/24 01/07/24 02/07/24 03/07/24 04/07/24 05/07/24 06/07/24 07/07/24 08/07/24 09/07/24 10/07/24 11/07/24 12/07/24 13/07/24 14/07/24 15/07/24 16/07/24 17/07/24 18/07/24 19/07/24 20/07/24 21/07/24 22/07/24 23/07/24 24/07/24 25/07/24 26/07/24 27/07/24 28/07/24 29/07/24 30/07/24 31/07/24 01/08/24 02/08/24 03/08/24 04/08/24 05/08/24 06/08/24 07/08/24 08/08/24 09/08/24 10/08/24 11/08/24 12/08/24 13/08/24 14/08/24 15/08/24 16/08/24 17/08/24 18/08/24 19/08/24 20/08/24 21/08/24 22/08/24 23/08/24 24/08/24 25/08/24 26/08/24 27/08/24 28/08/24 29/08/24 30/08/24 31/08/24 01/09/24 02/09/24 03/09/24 04/09/24 05/09/24 06/09/24 07/09/24 08/09/24 09/09/24 10/09/24 11/09/24 12/09/24 13/09/24 14/09/24 15/09/24 16/09/24 17/09/24 18/09/24 19/09/24 20/09/24 21/09/24 22/09/24 23/09/24 24/09/24 25/09/24 26/09/24 27/09/24 28/09/24 29/09/24 30/09/24 01/10/24 02/10/24 03/10/24 04/10/24 05/10/24 06/10/24 07/10/24 08/10/24 09/10/24 10/10/24 11/10/24 12/10/24 13/10/24 14/10/24 15/10/24 16/10/24 17/10/24 18/10/24 19/10/24 20/10/24 21/10/24 22/10/24 23/10/24 24/10/24 25/10/24 26/10/24 27/10/24 28/10/24 29/10/24 30/10/24 31/10/24 01/11/24 02/11/24 03/11/24 04/11/24 05/11/24 06/11/24 07/11/24 08/11/24 09/11/24 10/11/24 11/11/24 12/11/24 13/11/24 14/11/24 15/11/24 16/11/24 17/11/24 18/11/24 19/11/24 20/11/24 21/11/24 22/11/24 23/11/24 24/11/24 25/11/24 26/11/24 27/11/24 28/11/24 29/11/24 30/11/24 01/12/24 02/12/24 03/12/24 04/12/24 05/12/24 06/12/24 07/12/24 08/12/24 09/12/24 10/12/24 11/12/24 12/12/24 13/12/24 14/12/24 15/12/24 16/12/24 17/12/24 18/12/24 19/12/24 20/12/24 21/12/24 22/12/24 23/12/24 24/12/24 25/12/24 26/12/24 27/12/24 28/12/24 29/12/24 30/12/24 31/12/24 01/01/25 02/01/25 03/01/25 04/01/25 05/01/25 06/01/25 07/01/25 08/01/25 09/01/25 10/01/25 11/01/25 12/01/25 13/01/25 14/01/25 15/01/25 16/01/25 17/01/25 18/01/25 19/01/25 20/01/25 21/01/25 22/01/25 23/01/25 24/01/25 25/01/25 26/01/25 27/01/25 28/01/25 29/01/25 30/01/25 31/01/25 01/02/25 02/02/25 03/02/25 04/02/25 05/02/25 06/02/25 07/02/25 08/02/25 09/02/25 10/02/25 11/02/25 12/02/25 13/02/25 14/02/25 15/02/25 16/02/25 17/02/25 18/02/25 19/02/25 20/02/25 21/02/25 22/02/25 23/02/25 24/02/25 25/02/25 26/02/25 27/02/25 28/02/25 29/02/25 30/02/25 01/03/25 02/03/25 03/03/25 04/03/25 05/03/25 06/03/25 07/03/25 08/03/25 09/03/25 10/03/25 11/03/25 12/03/25 13/03/25 14/03/25 15/03/25 16/03/25 17/03/25 18/03/25 19/03/25 20/03/25 21/03/25 22/03/25 23/03/25 24/03/25 25/03/25 26/03/25 27/03/25 28/03/25 29/03/25 30/03/25 31/03/25 01/04/25 02/04/25 03/04/25 04/04/25 05/04/25 06/04/25 07/04/25 08/04/25 09/04/25 10/04/25 11/04/25 12/04/25 13/04/25 14/04/25 15/04/25 16/04/25 17/04/25 18/04/25 19/04/25 20/04/25

कार्य में विभिन्न प्रकार के Encroachment आ रहे थे जिनकी listing करके कार्यवाही की गई।

2. Utility Shifting जिनमें PHED Line मुख्य थी जिसके सम्बन्ध में बार-बार पत्राचार करके अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर में Meeting भी बुलाई गई। PHED की पाईप लाईन सम्बन्धित विभाग द्वारा दिनांक 30.01.2019 के पश्चात् हटाई गई। जिसके कारण कार्य बाधित रहा।

3. अशोक उद्यान के सामने NH का नाला था जिसको Shifting हेतु बार-बार पत्राचार किया गया जिसके सम्बन्ध में NOC दिनांक 26.03.2019 को प्राप्त हुई। अतः 26.03.2019 से पूर्व नाले के भाग में कार्य किया जाना सम्भव नहीं था।

4. नगर निगम का Gantry Board 24.06.2019 तक नहीं हटाया गया अतः gantry Board भाग में कार्य किया जाना सम्भव नहीं था।

5. अन्त में जयपुर रोड़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घूघरा में एक कमरा व ग्राम पंचायत की चार दुकानों का बरामदा नाली निर्माण में बाधा बन रहा था जिसके सम्बन्ध में घूघरा सरपंच को बार-बार पत्र प्रेषित किये गये। अन्त में दिनांक 04.07.2019 को पत्र प्रेषित कर घूघरा सरपंच के माध्यम उक्त Hurdle भाग हटवाया गया। अन्तिम Hurdle भाग हटाने के पश्चात् संवेदक द्वारा सम्पूर्ण कार्य 132 दिवस में ही पूर्ण कर दिया गया।

6. सम्पूर्ण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् वर्षा ऋतु होने के कारण Road Furnishing का कार्य जैसे Edge Line, Centre Line, Divider Colour का कार्य वर्षा ऋतु पश्चात् किया जाना सम्भव था।

अतः समस्त Utility Shifting (Electric Poles, BSNL Cable, PHED Pipe Line) व Hurdle (Nagar Nigam Gantry Board Shifting, नाला shifting, अतिक्रमण) से सम्बन्धित रिपोर्ट कर समय-समय पर PTE जारी किये गये। अतः कार्य में सम्पूर्ण देरी संवेदक स्तर पर न होकर विभागीय स्तर पर रही। अतः अन्तिम समयावधि 22.11.2019 तक Without Compensation for Delay के साथ किये जाने की अनुशांषा की जाती है।

B. अतिरिक्त Item प्रकरण

उक्त कार्य के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार राशि रु 2545612/- के अतिरिक्त आईटम के कार्य करवाये जो कि कार्यादेश राशि का 4.24 प्रतिशत है। अतः अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

C. विचलन अनुमोदन (Deviation Statement)

उक्त कार्य का कार्यादेश राशि रु 60007833.00 के विरुद्ध राशि रु 58377276.00 का कार्य करवाया गया। अतः सम्पूर्ण कार्य में 2.72 %

की बचत रही। अतः अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

दिनांक 16.03.21 को प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में रखा गया था। कार्यकारी समिति द्वारा निम्न निर्णय लिया गया कि निदेशक वित्त से नियमानुसार परीक्षण करवा कर आगामी कार्यकारी समिति में लिया जावे।

निदेशक वित्त के परीक्षण के पश्चात कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 27.05.21 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 5 में समिति द्वारा प्रकरण के बिन्दु संख्या A,B,C के अनुमोदन हेतु प्रकरण को आगामी प्राधिकरण की बैठक में रखे जाने की अनुशंसा की गई है। अतः प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय:- प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

[Signature]

3

राजस्व ग्राम होकरा तहसील पुष्कर में रिसोर्ट प्रयोजनार्थ फेज 1 की आरक्षित दर निर्धारित करने के क्रम में।

निदेशक
अभियांत्रिकी

अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा पुष्कर स्थित राजस्व ग्राम होकरामे '08 रिसोर्ट, 01 व्यावसायिक एवं 01 पेट्रोल पम्प हेतु भूखण्ड प्रस्तावित किये जाकर योजना बनाई गई है। राजस्व ग्राम होकरा में योजना स्वीकृत की गई है जिसका कुल क्षेत्रफल 197933.26 वर्ग.मी. है एवं संशोधित ले आउट प्लान भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) द्वारा दिनांक 10.06.2021 को स्वीकृत कर दिया गया है।

योजना में निम्न विकास कार्य प्रस्तावित किये गये हैं एवं अनुमानित लागत निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विकास कार्यों का विवरण	लागत (लाखों में)
1	Survey & Demarcation work	5.00
2	Road work	245.00
3	Levelling and dressing	20.00
4	Drain work vf	504.00
5	Electrification work L.T/H.T line, Street Light, 33kv sub station	350.00
6	Arboriculture and park development	150.00
7	Scheme signs boards & Welcome gates	20.00
8	Footpath	140.00
9	Box Culvert	70.00
	कुल	1504.00

योजना में विकास कार्यों पर अनुमानित व्यय रु 1504.00 लाख होगा। भूमि की लागत वर्तमान DLC दर पर 14.09Cr. आंकलन की गई है। विक्रय योग्य क्षेत्रफल रिसोर्ट हेतु 88457.33 वर्ग.मी., व्यवसायिक हेतु 4792.04 वर्ग.मी. एवं पेट्रोल पम्प हेतु 2808.64 वर्ग. मी. है। गणना अनुसार

[Signatures]

योजना की व्यावसायिक आरक्षित दर 4910.00 प्रति वर्ग.मी. आई है। आरक्षित दर की गणना यह मानते हुए की गई है कि भूमि अविवादित एवं अतिक्रमण मुक्त है। साथ ही आरक्षित दर की गणना में पेयजल सुविधा एवं सीवरेज कार्य को सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष आरक्षित दर की स्वीकृति व नियम 16(B) के तहत योजना की स्वीकृति एवं क्रियांवन् की अनुमति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय— प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।



- 4 राजस्व ग्राम सूरजकुंड तहसील पुष्कर में रिसोर्ट प्रयोजनार्थ फेज 1 की आरक्षित दर निर्धारित करने के क्रम में प्रस्ताव पर चर्चा।

निदेशक
अभियांत्रिकी

अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा पुष्कर स्थित राजस्व ग्राम सूरजकुंड में 17 रिसोर्ट, 77 ईकोलोजीकल हाउसिंग एवं 55 फार्म हाउस हेतु भूखण्ड प्रस्तावित किये जाकर योजना बनाई गई है। राजस्व ग्राम होकरा में योजना स्वीकृत की गई है जिसका कुल क्षेत्रफल 860869.96 वर्ग.मी. है एवं ले आउट प्लान भवन मानचित्र समीति (ले आउट प्लान) द्वारा दिनांक 25.06.2021 को स्वीकृत कर दिया गया है।

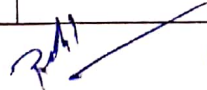
योजना में निम्न विकास कार्य प्रस्तावित किये गये हैं एवं अनुमानित लागत निम्नानुसार है:-

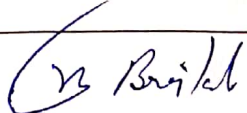
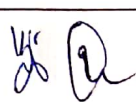
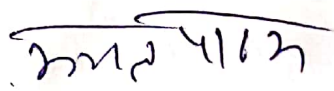
क्र.सं.	विकास कार्य का विवरण	लागत (लाखों में)
1	Survey & Demarcation work	20.00
2	Road work	1500.00
3	Levelling and dressing	300.00
4	Drain work	1488.00
5	Electrification work L.T/H.T line, Street Light, 33kv sub station	1300.00
6	Arboriculture and park development	700.00
7	Scheme signs boards & Welcome gates	50.00
8	Box Culvert and Retaining wall	700.00
	कुल	6058.00

योजना में विकास कार्य पर अनुमानित व्यय रु 6058.00 लाख होगा जिसमें कि उक्त योजना तक पहुंच मार्ग पर होने वाले व्यय राशि रु. 500.00 लाख भी शामिल की गई है। भूमि की लागत वर्तमान DLC दर पर 1333.71 लाख आंकलन की गई है। विक्रय योग्य क्षेत्रफल रिसोर्ट हेतु 201374.12 वर्ग.मी., ईकोलोजीकल हाउसिंग हेतु 78383.92 वर्ग मीटर, फार्म हाउस हेतु 92207.47 वर्ग मीटर, व्यावसायिक हेतु 17793.76 वर्ग मीटर एवं भविष्य हेतु आरक्षित भूमि 92159.63 वर्ग मीटर है। गणना अनुसार योजना की रिसोर्ट हेतु व्यावसायिक आरक्षित दर 3300.00. प्रति वर्ग मीटर एवं फार्म हाउस/ईकोलोजीकल हाउसिंग हेतु आवासीय आरक्षित दर 1650.00 प्रति वर्ग मीटर है। आरक्षित दर की गणना यह मानते हुए की गई है कि भूमि अविवादित एवं अतिक्रमण मुक्त है। साथ ही आरक्षित दर की गणना में पेयजल सुविधा एवं सीवरेज कार्य को सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः प्रकरण प्राधिकरण

af 10/10/21 10/10/21 10/10/21 10/10/21 10/10/21

	के समक्ष आरक्षित दर की स्वीकृति व नियम 16 (B) के तहत योजना की स्वीकृति एवं क्रियांवन की अनुमति हेतु प्रस्तुत है। निर्णय:- प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।									
5	स्पिनफैड कार्मिकों को अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में समायोजित किये जाने के पश्चात् आमेलित/समायोजित कार्मिकों की वरिष्ठता, वेतनमान, सामान्य भविष्यनिधि, कर्मचारी पेंशन, सेवानिवृत्ति से पूर्व व पश्चात् के सम्पूर्ण परिलाभ एवं प्राधिकरण कर्मचारियों को देय नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत नियमों को प्रभावी किये जाने के अनुमोदन बाबत। राजस्थान सरकार, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, के पत्र क्रमांक प.5 (4)नविवि/II/2017 दिनांक 30.08.2019 के तहत राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एण्ड जिनिंग मिल्स फैडरेशन लि. (स्पिनफैड) जयपुर के योग्यताधारी स्टॉफ कर्मचारियों को प्राधिकरण संचालक मण्डल बैठक दिनांक 28.09.2018 के प्रस्ताव संख्या 2018/02(5) द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव तथा मंत्रीमण्डल आज्ञा संख्या 131/2016 की पालना में अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में आमेलित/समायोजित करने की एतद् द्वारा क्रमांक संख्या 1 से 17 तक के कार्मिकों को समायोजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, के पत्र क्रमांक प. 5(4)नविवि /II/2017 दिनांक 16.02.2021 के अनुसार सेवानिवृत्ति परिलाभों के क्रम में निदेशक विधि, निदेशक वित्त के परीक्षाणोंपरान्त कार्यकारी समिति के अनुमोदन पश्चात नियमों/अधिनियमों की पालना करते हुये अपने स्तर पर ही निर्णय लिया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। आयुक्त महोदय के कार्यालय आदेश क्रमांक :- अ.वि. प्रा/संस्था/प.1/2021-22/33 दिनांक 11.06.2021 के द्वारा स्पिनफैड के कार्मिकों के सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित परिलाभों के बारे में निर्णय हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया गया। <table><tr><td>1. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर</td><td>अध्यक्ष</td></tr><tr><td>2. उपायुक्त (उत्तर) एवं संस्थापन शाखा प्रभारी सचिव</td><td>सदस्य</td></tr><tr><td>3. निदेशक वित्त</td><td>सदस्य</td></tr><tr><td>4. निदेशक विधि</td><td>सदस्य</td></tr></table>	1. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर	अध्यक्ष	2. उपायुक्त (उत्तर) एवं संस्थापन शाखा प्रभारी सचिव	सदस्य	3. निदेशक वित्त	सदस्य	4. निदेशक विधि	सदस्य	संस्थापन शाखा 
1. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर	अध्यक्ष									
2. उपायुक्त (उत्तर) एवं संस्थापन शाखा प्रभारी सचिव	सदस्य									
3. निदेशक वित्त	सदस्य									
4. निदेशक विधि	सदस्य									

कमेटी द्वारा निम्नानुसार सेवानिवृत्ति परिलाभों के सम्बन्ध में अनुशंसा की गई।

1. स्पिनफैड से प्राधिकरण में समायोजित (17) कार्मिकों की वरिष्ठता का निर्धारण प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर उपस्थिति दिनांक से प्रभावी होगा एवं प्राधिकरण में कार्यरत कनिष्ठ सहायक/सहायक कर्मचारियों से उक्त कार्मिक वरिष्ठता क्रम में कनिष्ठ रहेंगे।
 2. स्पिनफैड से प्राधिकरण में समायोजित (17) कार्मिकों के आमेलित/समायोजन के परिलाभ (प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति दिनांक से पूर्व) अर्थात् ग्रेज्यूटी, शेष उपार्जित अवकाश का भुगतान पैतृक विभाग (स्पिनफैड) द्वारा प्राधिकरण, कोष में जमा करवाया जायेगा। जिसे आमेलित/समायोजित (17)कार्मिकों के सेवानिवृत्ति के समय प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित कार्मिकों को भुगतान किया जायेगा।
 3. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, के पत्र क्रमांक प. 5(04)नविवि/II/2017 दिनांक 30.08.2019 में वर्णित स्पिनफैड से प्राधिकरण में समायोजित (17) कार्मिकों की सेवाओं को प्राधिकरण में नियमित माना जायेगा।
 4. स्पिनफैड से प्राधिकरण में समायोजित (17) कार्मिकोंके आमेलित/समायोजित कार्मिकों के पूर्व के कर्मचारी भविष्य निधि/परिवार पेंशन की राशि, प्राधिकरण के सामान्य भविष्य निधि, पेंशन अंशदान/कर्मचारी राज्य बीमा में समायोजित की जायेगी। जो नियमानुसार सेवानिवृत्ति पर ही देय होगी एवं आमेलित/समायोजित आदेश जारी होने की दिनांक से नियमानुसार सामान्य भविष्य निधि अंशदान/पेंशन अंशदान/ कर्मचारी राज्य बीमा इत्यादि वैधानिक दायित्वों क कटौती चालू माह के वेतन से की जायेगी।
 5. राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों की भांति (प्राधिकरण में कार्यरत कार्मिकों के समान) राजस्थान सेवा नियम व आचरण, वर्गीकरण एवं नियन्त्रण नियम 1958 भी लागू होंगे।
 6. स्पिनफैड से प्राधिकरण में समायोजित (17) कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा संशोधित वेतनमान, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि, उपार्जित अवकाश (समर्पित) भुगतान, बोनस, प्रोत्साहन राशि इत्यादि राज्य कर्मचारियों पर समय-समय पर जो निर्णय प्रभावी किये जायेंगे। वह स्पिनफैड के समायोजित कार्मिकों पर भी लागू होंगे।
- प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, के पत्र क्रमांक प.5(4)नविवि /II/2017 दिनांक 16.02.2021 के क्रम में प्राधिकरण कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पश्चात् देय समस्त सेवानिवृत्ति परिलाभों के समान स्पिनफैड से प्राधिकरण में समायोजित (17) कार्मिकों को भी प्राधिकरण में लागू राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन नियम 1996) के अनुरूप समस्त परिलाभ दिये जाने के प्रस्ताव को कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 28.06.

प. 28/6/21 102 28 Birla H. R. 28/6/21

2021 में सर्वसम्मति से पारित कर प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में रखें जाने का निर्णय लिया गया।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है

निर्णय:- प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में इस बाबत गठित कमेटी को निर्देशित किया जाता है कि वह एडीए के मूल कर्मचारियों एवं स्पिनफैड के कर्मचारियों को बुलाकर उनसे लिखित में ज्ञापन प्राप्त करके नियमानुसार उचित कार्यवाही के प्रस्ताव के साथ अगली बैठक में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

6

दीपावली के अवसर पर कार्मिकों को हर वर्ष तदर्थ बोनस एवं एक्सग्रेसिया का भुगतान किया जाता है।

दीपावली के अवसर पर कार्मिकों को हर वर्ष तदर्थ बोनस एवं एक्सग्रेसिया का भुगतान किया जाता है। अंकेक्षण विभाग द्वारा पैरा वर्ष 2010-11 10(स-1), 2011-13 10(स)(1) व 2013-17 23 में बोनस/एक्सग्रेसिया का अनियमित भुगतान का आक्षेप गठित किया गया है।

न्यास/प्राधिकरण, अजमेर के अधिकारी/कार्मिकों को बोनस/ एक्सग्रेसिया का भुगतान अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त होने एवं न्यास की बैठक दिनांक 30.09.2010 के प्रस्ताव संख्या 2010-2(31), न्यास बैठक दिनांक 20.10.2011 के प्रस्ताव संख्या 2011-4(14), 2013/1(21), प्राधिकरण की बैठक दिनांक 16.10.2017 के प्रस्ताव संख्या 2017-2 (13) व प्रस्ताव संख्या 2016/1 (22) वर्ष 2014-15 की बैठकों में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर स्वीकृति ली गई है।

प्राधिकरण एक स्वयं वित्तपोषी संस्था है जिसे राज्य सरकार से कोई अनुदान/बजट प्राप्त नहीं होता है। प्राधिकरण के एक्ट की धारा 8 (iii)के अनुसार आयुक्त को प्राधिकरण के प्रबन्ध के लिए आन्तरिक प्रक्रिया प्रख्यापित (Promulgated) करने का अधिकार प्राप्त है इस प्रकार प्राधिकरण को व्यय करने के अधिकार है,

अतः निम्नानुसार दी गयी बोनस एवं एक्सग्रेसिया राशि का प्राधिकरण बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

क्र.सं.	वित्तिय वर्ष	बोनस/एक्सग्रेसिया राशि
1	2010-11	993870/-
2	2011-13	1157670/-
3	2013-17	5913738/-

निर्णय:-प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।

गु राव / 12 20/10/2018 12/10/2018

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर को कार्यालय भवन हेतु भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव।

प्रभारी भूमि
आवंटन
(उपायुक्त उत्तर)

पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के सरकारी कार्यालय भवन हेतु सहज पहुँच वाले स्थान पर जमीन उपलब्ध करवाने हेतु, निर्धारित प्रपत्र 'स' में आवेदन प्रस्तुत किया

उक्त बाबत ग्राम कांकरदा भूणाबाय के खसरा नम्बर 662 क्षेत्रफल 7.56 हेक्टर मे से 1000 वर्गमीटर भूमि का चिन्हिकरण किया गया। मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2013-2033 अजमेर रिजन अनुसार 100 फुट सड़क मार्गाधिकार हेतु वर्तमान सड़क के मध्य से 50 फुट छोड़ने के उपरान्त 150 फीट गहराई तक मिश्रित भू-उपयोग जिसमे संस्थागत गतिविधियां अनुज्ञेय है। तथा उक्त के पश्चात आवासीय उपयोग जिसमे Goverment Public Utilities Permissible On all Road After Approvall From Competent Authnority अनुज्ञेय होना पाया गया है। अवाप्ति शाखा के अनुसार प्रस्तावित भूमि दीपक नगर योजना मे सिवायचक के रूप मे अधिसूचित है। विधि शाखा अनुसार प्रस्तावित भूमि पर मुंसिफ जिला अजमेर मे श्रीमती हीरी देवी बनाम अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर का वाद लम्बित है, जिसमे न्यायालय द्वारा रकबा 1944.44 वर्गगज पर यथार्थिति के आदेश जारी है। एसीएम कोर्ट मे शैतान सिंह बनाम सरकार व अन्य का वाद लम्बित है, जिसमे स्थगन नही है। तथा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर मे प्रकरण संख्या 1862/2014 श्रीमति हीरी बनाम अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर एवं अन्य से वाद विचाराधीन है। जिसमे आगामी सुनवाई दिनांक 07.09.2021 है। भू.अ. शाखा से प्राप्त सूचना दिनांक 22.06.2021 अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (स्पेशल यूनिट) को प्रस्तावित भूमि वाद संख्या 1862/2014 के वाद पत्र मे दर्शित सीमाओ से अलग है प्रस्तावित भूमि वाद एवं स्थगन से प्रभावित नही है। तथा प्रस्तावित भूमि पर पूर्व में 90ए की कार्यवाही नही हुई है, ना ही नियमन हुआ है।

राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग, जयपुर द्वारा राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति, 2015 निर्धारित है जिसके बिन्दु संख्या 9 राजकीय विभागों/उपक्रमों आदि को भूमि आवंटन किये जाने हेतु प्रावधान नियत है। जिसके बिन्दुसंख्या 9.3 राजकीय विभागों भूमि निःशुल्क आवंटन राज्य सरकार की अनुमति से की जावेगी के निर्देश जारी है। राजस्थान सरकार नविवि के पत्रांक प.3 (55) नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 29.04.2020 के अनुसार राजकीय विभागों को 1000 वर्गमीटर तक भूमि आवंटन की जा सकती है।

अतः पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के सरकारी कार्यालय भवन हेतु ग्राम कांकरदा भूणाबाय के खसरा नम्बर 662 क्षेत्रफल 7.65 हेक्टर मे से 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु प्रस्ताव अनुमोदन एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:-प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वाराबाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।

गु रमेश 20/09/21
Ch Buiat 20/09/21

राजकीय उप स्वास्थ्य उप केन्द्र किरानीपुरा को भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव।

प्रभारी भूमि
आवंटन
(उपायुक्त उत्तर)

चिकित्सा अधिकारी प्रभारी मदारपुरा, एवं ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीनगर ने निर्धारित प्रारूप 'स' में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर से अनुमोदित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उप स्वास्थ्य केन्द्र किरानीपुरा के निर्माण हेतु 500-1000 वर्गगज भूमि उपलब्ध कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त बाबत प्राधिकरण की भू-अभिलेख शाखा द्वारा ग्राम किरानीपुरा के खसरा नम्बर 2129 क्षेत्रफल 0.32 मे से 500 वर्गमीटर भूमि का चिन्हिकरण किया गया है। नियोजन शाखा के अनुसार मास्टर डवलपमेन्ट प्लान अजमेर 2033 के अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग 60 फिट सड़क से लगते हुए आवासीय है। तथा राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प. 17 (16) नविनि/नियम/2021 जयपुर दिनांक 31.05.2021 के अनुसार चाह गया भू-उपयोग अनुज्ञेय होना अंकित किया है। अवाप्ति शाखा अनुसार भूमि किसी योजना में अवाप्त नहीं है ना ही अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है। नियमन शाखा के अनुसार प्रस्तावित भूमि पर पूर्व में नियमन की कार्यवाही नहीं हुई है। विधि शाखा के अनुसार प्रस्तावित भूमि पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर में प्रकरण संख्या 55/20 व 62/20 श्री हैक्टर बनाम सरकार व अन्य से वाद विचाराधीन है, जिसमें स्थगन नहीं है।

राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग, जयपुर द्वारा राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति, 2015 निर्धारित है जिसके बिन्दु संख्या 9 राजकीय विभागों/उपक्रमों आदि को भूमि आवंटन किये जाने हेतु प्रावधान नियत है। जिसके बिन्दु संख्या 9.3 से राजकीय विभागों भूमि निःशुल्क आवंटन राज्य सरकार की अनुमति से की जाएगी, के निर्देश जारी है तथा आदेश पत्रांक प.3 (55) नविनि/3/2002 जयपुर दिनांक 29.04.2020 के अनुसार उपस्वास्थ्य भवन हेतु 500 वर्गमीटर तक भूमि आवंटन की जा सकती है।

अतः ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीनगर को राजकीय उप स्वास्थ्य उप केन्द्र किरानीपुरा के निर्माण हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में अनुमोदन एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:-प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया कि मदार व किरानीपुरा में किस स्थान पर राजकीय उप स्वास्थ्य उप केन्द्रस्थापित किया जाना है, स्वास्थ्य विभाग से चर्चा कर उपयुक्त कार्यवाही की जावे। मदार या किरानीपुरा में राजकीय उप स्वास्थ्य उप केन्द्र हेतु नियमानुसार भूमि आवंटन को सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की जाती है।

9

राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र खाजपुरा को भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव।

प्रभारी भूमि
आवंटन
(उपायुक्त उत्तर)

चिकित्सा अधिकारी प्रभारी मदारपुरा, एवं ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीनगर ने निर्धारित प्रारूप 'स' में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर से अनुमोदित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उप स्वास्थ्य केन्द्र खाजपुरा के निर्माण हेतु 500-1000 वर्गगज भूमि उपलब्ध कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त बाबत प्राधिकरण की भू-अभिलेख शाखा द्वारा ग्राम खाजपुरा के खसरा नम्बर 1334 क्षेत्रफल 0.21 हैक्ट. किस्म बरानी 2 मे से 500 वर्गमीटर भूमि का चिन्हिकरण किया गया है। नियोजन शाखा के अनुसार मास्टर डवलपमेन्ट प्लान अजमेर 2033 के अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग 30 मीटर प्रस्तावित सड़क से लगते हुए अरबन ऐरिया (यू. 2) है। तथा राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.17 (16) नविनि/नियम/2021 जयपुर दिनांक 31.05.2021 के अनुसार चाह गया भू-उपयोग अनुज्ञेय होना अंकित किया है। अवाप्ति शाखा अनुसार भूमि किसी योजना मे अवाप्त नहीं है ना ही अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है। विधि शाखा के अनुसार प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार का वाद व स्थगन नहीं है।

राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग, जयपुर द्वारा राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति, 2015 निर्धारित है जिसके बिन्दु संख्या 9 राजकीय विभागों/उपक्रमों आदि को भूमि आवंटन किये जाने हेतु प्रावधान नियत है। जिसके बिन्दु संख्या 9.3 से राजकीय विभागों भूमि निःशुल्क आवंटन राज्य सरकार की अनुमति से की जाएगी, के निर्देश जारी है तथा आदेश पत्रांक प.3 (55) नविनि/3/2002 जयपुर दिनांक 29.04.2020 के अनुसार उपस्वास्थ्य भवन हेतु 500 वर्गमीटर तक भूमि आवंटन की जा सकती है।

अतः ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीनगर को राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र खाजपुरा के निर्माण हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक मे अनुमोदन एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:- प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।

10

राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र बड़गांव को भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव ।

प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रीनगर एवं ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीनगर अजमेर ने निर्धारित प्रारूप 'स' मे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर से अनुमोदित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उप स्वास्थ्य केन्द्र बड़गांव के निर्माण हेतु 500 वर्गमीटर भूमि उपलब्ध आवंटन कराने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त बाबत प्राधिकरण की भू-अभिलेख शाखा द्वारा ग्राम बड़गांव के खसरा नम्बर 722/1018 क्षेत्रफल 0.24 मे से 500 वर्गमीटर भूमि का चिन्हिकरण किया गया है। नियोजन शाखा के अनुसार मास्टर डवलपमेन्ट प्लान अजमेर 2033 के अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग 30 मीटर प्रस्तावित रोड़ से लगते हुए अरबन ऐरिया (यू. 2) है। तथा राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.17 (16) नविनि/नियम/2021 जयपुर दिनांक 31.05.2021 के अनुसार चाहा गया भू-उपयोग अनुज्ञेय होना अंकित किया है। अवाप्ति शाखा अनुसार भूमि किसी योजना मे अवाप्त नहीं है ना ही अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है। विधि शाखा के अनुसार प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार का वाद व स्थगन नहीं है।

राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग, जयपुर द्वारा राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति, 2015 निर्धारित

प्रभारी भूमि
आवंटन
(उपायुक्त उत्तर)

[Handwritten signatures and dates]

है जिसके बिन्दु संख्या 9 राजकीय विभागों/उपक्रमों आदि को भूमि आवंटन किये जाने हेतु प्रावधान नियत है। जिसके बिन्दु संख्या 9.3 से राजकीय विभागों भूमि निःशुल्क आवंटन राज्य सरकार की अनुमति से की जाएगी, के निर्देश जारी है तथा आदेश पत्रांक प.3 (55) नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 29.04.2020 के अनुसार उपस्वास्थ्य केन्द्र के भवन हेतु 500 वर्गमीटर तक भूमि आवंटन की जा सकती है।

अतः ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीनगर अजमेर को राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र बड़गांव के निर्माण हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में अनुमोदन एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:- प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

11

उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अति०कलक्टर) अजमेर को राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर को अजमेर संभागीय क्षेत्र के ई०वी०एम० वेयर हाउस हेतु पृथ्वीराज नगर आवासीय योजना में राजकीय कार्यालयों हेतु आरक्षित भूमि में से 1371.60 वर्गमीटर भूमि आवंटन किये जाने बाबत प्रस्ताव।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्रांक 658 दिनांक 21.02.2019 से जारी निर्देशों के क्रम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अति० कलक्टर) अजमेर द्वारा उनके पत्र क्रमांक जि.नि.अ./स्टोर/2019/847 दिनांक 27.02.2019 से संभाग स्तरीय राज्य निर्वाचन आयोग की ई.वी.एम. के लिए वेयर हाउस का निर्माण हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आरक्षित एवं आवंटन किये जाने का निवेदन किया गया है। जिस हेतु श्रीमान उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अति.कलक्टर) अजमेर द्वारा उनके पत्र क्रमांक जि.नि.अ./स्टोर/2019/2556 दिनांक 31.07.2019 से भूमि आवंटन चाहे जाने हेतु नीति अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप "स" में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

भूमि की उपलब्धता एवं आवंटन योग्य प्रस्तावित भूमि के पार्ट प्लान चाहे जाने हेतु पत्रावली नियोजन शाखा को प्रेषित की गई। नियोजन शाखा द्वारा सक्षम स्तर पर चर्चा कर पृथ्वीराज नगर आवासीय योजना में राजकीय कार्यालयों हेतु आरक्षित भूमि के पूर्व स्वीकृत पार्ट ले-आउट प्लान में से रिक्त भूखण्ड संख्या 11 क्षेत्रफल 1371.60 वर्गमीटर भूमि को संभाग स्तरीय राज्य निर्वाचन आयोग के ई.वी.एम वेयर हाउस हेतु आवंटन बाबत सक्षम स्तर पर निर्णय लिये जाने पर तकनीकी दृष्टि से कोई आपत्ति नहीं होना बताते हुये स्वीकृत ले-आउट प्लान की प्रति सहित पत्रावली प्रस्तुत की गई। विधि शाखा अनुसार प्रस्तावित भूमि पर वाद लंबित नहीं है।

राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग, जयपुर द्वारा राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति, 2015 निर्धारित है जिसके बिन्दु संख्या 9 राजकीय विभागों/उपक्रमों आदि को भूमि आवंटन किये जाने हेतु प्रावधान नियत है। जिसके बिन्दुसंख्या 9.3 राजकीय विभागों भूमि निःशुल्क आवंटन राज्य सरकार की अनुमति से की जावेगी के निर्देश जारी है। राजस्थान सरकार नविवि के पत्रांक प.3 (55) नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 29.04.2020 के अनुसार राजकीय विभागों को 1000 वर्गमीटर तक भूमि आवंटन की जा सकती है।

अतः उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अति०कलक्टर) अजमेर को राज्य

प्रभारी भूमि
आवंटन
(उपायुक्त उत्तर)

अतः उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अति०कलक्टर) अजमेर को राज्य

निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर के अजमेर संभाग स्तरीय ई.वी.एम. वेयर हाउस हेतु पृथ्वीराज नगर आवासीय योजना में राजकीय कार्यालयों हेतु आरक्षित भूमि के भूखण्ड संख्या 11 क्षेत्रफल 1371.60 वर्गमीटर भूमि का निःशुल्क आवंटन करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड बैठक में विचारार्थ अनुमोदनार्थ निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:- प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र कानस को भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव पर चर्चा।

ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीसांगन ने निर्धारित प्रारूप 'स' में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर से अनुमोदित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उप स्वास्थ्य केन्द्र कानस के निर्माण हेतु 500 से 1000 वर्गगज भूमि उपलब्ध आवंटन कराने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त बाबत प्राधिकरण की भू-अभिलेख शाखा द्वारा ग्राम कानस के खसरा नम्बर 877 क्षेत्रफल 0.26 मे से 500 वर्गमीटर भूमि का चिन्हिकरण किया गया है। नियोजन शाखा के अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग पुष्कर मास्टर प्लान 2031 के अनुसार पैराफेरी कन्ट्रोल बैल्ट है तथा अजमेर मास्टर डवलपमेंट प्लान्ट (अजमेर) 2033 के 60 मीटर सड़क से लगते हुए होने से राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.17 (16) नविवि/नियम/ 2021 जयपुर दिनांक 31.05.2021 के अनुसार चाहा गया भू-उपयोग अनुज्ञेय होना अंकित किया है। अवाप्ति शाखा अनुसार भूमि किसी योजना में अवाप्त नहीं है ना ही अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है। विधि शाखा के अनुसार प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार का वाद व स्थगन नहीं है।

राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग, जयपुर द्वारा राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति, 2015 निर्धारित है जिसके बिन्दु संख्या 9 राजकीय विभागों/उपक्रमों आदि को भूमि आवंटन किये जाने हेतु प्रावधान नियत है। जिसके बिन्दु संख्या 9.3 से राजकीय विभागों भूमि निःशुल्क आवंटन राज्य सरकार की अनुमति से की जाएगी, के निर्देश जारी है तथा आदेश पत्रांक प.3 (55) नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 29.04.2020 के अनुसार उपस्वास्थ्य केन्द्र के भवन हेतु 500 वर्गमीटर तक भूमि आवंटन की जा सकती है।

अतः ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी पीसांगन (अजमेर) को राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र कानस के निर्माण हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में अनुमोदन एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:- प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र मानपुरा की ढाणी को भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव।

चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नरवर एवं ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीनगर अजमेर ने निर्धारित प्रारूप 'स' में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर से अनुमोदित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उप स्वास्थ्य केन्द्र मानपुरा की ढाणी के निर्माण हेतु 500 से 700 वर्गमीटर भूमि आवंटन कराने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रभारी भूमि
आवंटन
(उपायुक्त उत्तर)

प्रभारी भूमि
आवंटन
(उपायुक्त उत्तर)

उक्त बाबत प्राधिकरण की भू-अभिलेख शाखा द्वारा ग्राम मानपुरा के खसरा नम्बर 107 क्षेत्रफल 1.62 मे से 500 वर्गमीटर भूमि का चिन्हिकरण किया गया है। नियोजन शाखा के अनुसार मास्टर डवलपमेन्ट प्लान अजमेर 2033 के अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग Below 18 मीटर रोड़ से लगते हुए रूरल बेल्ट है। तथा राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.17 (16) नविनि/नियम/2021 जयपुर दिनांक 31.05.2021 के अनुसार चाहा गया भू-उपयोग अनुज्ञेय होना अंकित किया है। रास्ते के संबंध में मार्गाधिकार निर्धारण नहीं होने से निर्धारित न्यूनतम 60 फीट प्रस्तावित मार्ग का अनुमोदन व प्रक्रिया सुनिश्चित कराये जाने के अनुशंसा की प्रत्याक्षा में बोर्ड बैठक में रखने हेतु प्रस्तावित किया गया। अवाप्ति शाखा अनुसार भूमि किसी योजना में अवाप्त नहीं है ना ही अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है। विधि शाखा के अनुसार प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार का वाद व स्थगन नहीं है। नियमन शाखा अनुसार प्रस्तावित भूमि पर पूर्व में कोई नियमन नहीं किया गया है।

राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग, जयपुर द्वारा राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति, 2015 निर्धारित है जिसके बिन्दु संख्या 9 राजकीय विभागों/उपक्रमों आदि को भूमि आवंटन किये जाने हेतु प्रावधान नियत है। जिसके बिन्दु संख्या 9.3 से राजकीय विभागों भूमि निःशुल्क आवंटन राज्य सरकार की अनुमति से की जाएगी, के निर्देश जारी है तथा आदेश पत्रांक प.3 (55) नविनि/3/2002 जयपुर दिनांक 29.04.2020 के अनुसार उपस्वास्थ्य केन्द्र के भवन हेतु 500 वर्गमीटर तक भूमि आवंटन की जा सकती है।

अतः ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीनगर (अजमेर) को राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र मानपुरा की ढाणी के निर्माण हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में अनुमोदन एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:- प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वाराबाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।

मोतीसर ग्राम (पुष्कर) में GSS हेतु अजमेर विद्युत वितरण निगम को भूमि आवंटन बाबत प्रस्ताव पर चर्चा।

सहायक अभियंता (प.व.स), अ.वि.वि.नि.लि. पुष्कर ने निर्धारित प्रारूप 'स' में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 33/11 के.वी सब-स्टेशन मोतीसर हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन कराने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त बाबत प्राधिकरण की भू-अभिलेख शाखा द्वारा ग्राम मोतीसर के खसरा नम्बर 551 रकबा 0.25 हैक्ट. किस्म चाही 3 व खसरा नम्बर 564 रकबा 0.80 हैक्ट. किस्म चाही 3 भूमि का चिन्हिकरण किया गया है। नियोजन शाखा के अनुसार मास्टर डवलपमेन्ट प्लान पुष्कर 2031 के अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान में अंकित 18 मीटर रोड़ से लगते हुए पेराफेरी कन्ट्रोल बेल्ट है। तथा राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.10 (35) नविनि/3/2010 जयपुर दिनांक 08.06.2020 के अनुसार चाहा गया भू-उपयोग अनुज्ञेय होना अंकित किया है। अवाप्ति शाखा अनुसार भूमि किसी योजना में अवाप्त नहीं है ना ही अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है। विधि शाखा के अनुसार प्रस्तावित भूमि पर न्यायालय

प्रभारी भूमि
आवंटन
(उपायुक्त उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी पीसांगन मे वाद विचाराधीन है। जिसमे किसी प्रकार का स्थगन नही है। नियमन शाखा अनुसार प्रस्तावित भूमि पर पूर्व मे कोई नियमन नही किया गया है।

राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग, जयपुर द्वारा राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति, 2015 निर्धारित है जिसके बिन्दु संख्या 9 राजकीय विभागों/उपक्रमों आदि को भूमि आवंटन किये जाने हेतु प्रावधान नियत है। राजस्थान सरकार नविवि के पत्रांक प.3 (55) नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 29.04.2020 के अनुसार राजकीय विभागों को 1000 वर्गमीटर तक भूमि आवंटन की जा सकती है।

अतः सहायक अभियंता प.व.स. अ.वि.वि.नि.लि. पुष्कर को 33/11 के.वी सब-स्टेशन हेतु 2860 वर्गमीटर भूमि आवंटन किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक मे अनुमोदन एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:- प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा वाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।

15

नार्कोटिक्स विभाग को भूमि आवंटन पर चर्चा।

अधीक्षक नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो उप क्षेत्रिय ईकाई अजमेर ने निर्धारित प्रारूप 'स' मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो उप क्षेत्रिय ईकाई अजमेर के लिए ऑफिस कॉम्पलेक्स निर्माण हेतु 579 वर्गमीटर भूमि आवंटन कराने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त बाबत प्राधिकरण की नियोजन शाखा द्वारा प्राधिकरण की पृथ्वीराज नगर योजना मे सरकारी कार्यालय हेतु आरक्षित भूमि के संबंध मे ले-आउट प्लान की बैठक दिनांक 09.03.2021 मे लिये गए निर्णय के अनुसार सशोधित ले-आउट प्लान के भूखण्ड संख्या 4 व 5ए क्षेत्रफल 579 वर्गमीटर का चिन्हीकरण किया गया। विधि शाखा अनुसार प्रस्तावित भूमि पर कोई वाद स्थगन नही है।

राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग, जयपुर द्वारा राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति, 2015 निर्धारित है जिसके बिन्दु संख्या 9 राजकीय विभागों/उपक्रमों आदि को भूमि आवंटन किये जाने हेतु प्रावधान नियत है किन्तु केन्द्रीय विभागों को भूमि आवंटन हेतु भूमि की दर का निर्धारण समिति के द्वारा किया जाने का प्रावधान है। तथा आदेश पत्रांक प.3 (55) नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 29.04.2020 के अनुसार 1000 वर्गमीटर राजकीय विभाग हेतु भूमि आवंटन की जा सकती है।

अतः अधीक्षक नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो उप क्षेत्रिय ईकाई अजमेर को नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो उप क्षेत्रिय ईकाई अजमेर के लिए ऑफिस कॉम्पलेक्स निर्माण हेतु 579 वर्गमीटर भूमि आवंटन किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक मे अनुमोदन एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:- प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा वाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर नियमानुसार राशि की वसूली करते हुए भूमि आवंटन की प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन किया ।

प्रमारी भूमि
आवंटन
(उपायुक्त उत्तर)

डी.डी. पुरम योजना में पेयजल सुविधा हेतु PHED को निःशुल्क जमीन आवंटन करने हेतु प्रस्ताव पर चर्चा।

अजमेर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना डी.डी. पुरम योजना में आमजन को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मौके पर 1 Nos. Pumping Station व 2 Nos. Service reservoir के निर्माण हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को 3 Nos. विभिन्न स्थानों पर क्रमशः 3000 sqm, 1954.52 sqm. व 1958.48 sqm. भूमि का निःशुल्क आवंटन किया जाना है। अतः अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड-11 को उपरोक्तानुसार निःशुल्क भूमि के आवंटन हेतु प्रकरण चर्चा हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय:- प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से नियमानुसार एडीए के स्तर पर कार्यवाही की जाकर प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया।

प्रभारी भूमि
आवंटन
(उपायुक्त उत्तर)

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से।

अ - राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गेगल को 8000 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत प्रस्ताव।

अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से प्रभारी अधिकारी आवंटन शाखा ने प्राधिकरण को अवगत कराया कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की अत्यन्त आवश्यकताओं को देखते हुए राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गेगल को 8000 वर्गमीटर भूमि आवंटन किये जाने हेतु माननीय जिला कलक्टर महोदय से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है अगर सदन उचित समझे तो उक्तानुसार नियमानुसार भूमि आवंटन किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय:- प्राधिकरण की बैठक में सदस्यों द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान की गई।

ब- बैठक में उपस्थित माननीया मेयर नगर निगम अजमेर ने प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के प्रशासनिक नियंत्रण वाली कॉलोनीयों की सफाई व्यवस्था के संबंध में नगर निगम द्वारा किये जा रहे भुगतान के पुर्नभरण के संबंध में अजमेर विकास प्राधिकरण को बकाया राशि का आजतक भुगतान नहीं किया गया है जिसका भुगतान कराने की कार्यवाही की जावे।

बैठक में उपस्थित सहायक लेखाधिकारी ने बताया कि नगर निगम द्वारा 01.09.15 से 31.07.2017-23 माह का 250 बीटों का सफाई बिल प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण के तत्कालीन माननीय अध्यक्ष महोदय से प्राप्त निर्देशानुसार सफाई बीट क्षेत्राधिकार निर्धारण हेतु नगर निगम को पत्र लिखा गया जिसमें नगर निगम द्वारा पत्र क्रमांक 2326 दिनांक 27.03.2018 के अन्तर्गत 294 में

प्राधिकरण क्षेत्र की सफाई बीट की सूची प्रदान की गई। प्राधिकरण के उपायुक्त महोदय एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा परीक्षण उपरान्त 83 बीट ही प्राधिकरण क्षेत्र के पाये गये निगम द्वारा प्रस्तुत बिलों के विरुद्ध उपरोक्त अवधि हेतु राशि रुपये 1.13 करोड का भुगतान ही प्राधिकरण द्वारा किया जाना शेष था।

नगर निगम द्वारा सफाई बिल 30 व 31 दिवस प्रतिमाह के प्रस्तुत किये है स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष. 2013-17 के आक्षेप सं. 2 से श्रम विभाग के नियमानुसार 26 दिनों का भुगतान ही देय बताया गया है, यह वर्तमान में "अ" श्रेणी का प्रारूप प्रालेख बन चुका है। उक्त आक्षेप की पूर्ति के लिये प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 11693 दि. 25.01.21, क्रमांक.13923 दिनांक 24.02.2021, क्र. 14363 दि. 04.03.2021, क्र 14863 दि. 15.03.2021, क्र. 15487 दि. 25.03.21, क्र 432 दि. 09.4.2021, क्र 2015 दि.11.06.2021 द्वारा नगर निगम को लिखे गये परन्तु कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। प्रतिउत्तर प्राप्त होने पर आक्षेप निरस्त होने/संशोधित बिल प्रस्तुत करने पर ही बिल पारित किया जाना संभव हो पायेगा। नगर निगम द्वारा इसके पश्चात पत्र क्रमांक 1883 दिनांक 17.03.21 को दिनांक 01.09.2015 से 31.12.20 तक का राशि रुपये 105114750/- का बिल प्रदान किया गया प्राधिकरण के अनुसार इस बिल हेतु भी राशि रुपये 34898097/- ही 01.09.2015 से 31.12.2020 तक देय बनती है। इस आशय हेतु भी नगर निगम को प्रेषित उपरोक्त पत्रों में विवरण दिया गया था जिसका उत्तर आज दिनांक तक अप्राप्त है।

प्राधिकरण की बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर आयुक्त महोदय को निर्देशित किया कि अजमेर नगर निगम से वरिष्ठ लेखाधिकारी को बुलाकर एडीए के निदेशक वित्त के साथ मिलकर विस्तृत रिपोर्ट बनाकर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

स-बैठक में उपस्थित माननीया मेयर नगर निगम अजमेर ने प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एडीए से भूमि विक्रय से प्राप्त 15 प्रतिशत हिस्सा राशि का भुगतान नियमानुसार अजमेर नगर निगम को नहीं किया जा रहा है जिससे आर्थिकहानि हो रही है। कृपया इस प्रकरण का भी निस्तारण करावें।

बैठक में उपस्थित एडीए के सहायक लेखाधिकारी ने अवगत कराया कि वर्ष 2010 से मार्च 2016 तक नगर निगम को 15 प्रतिशत अंशदान के पेटे राशि रुपये 10.39 करोड का अधिक भुगतान कर दिया गया था। उक्त अधिक भुगतान का वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में राशि रुपये 9.06 करोड समायोजित कर ली गई है राशि रुपये 1.33 करोड प्राधिकरण के हक में शेष बचती है। वर्ष 2020-21 की राशि का हस्तान्तरण किया जाना

शेष है। उपरोक्त आशय हेतु भी समस्त योजनामय विवरण सहित पत्र क्रमांक 14897 दिनांक 12.10.18, क्र. 2792 दि. 27.08.19, क्रं 17845 दि. 09.01.20 को पत्र लिख कर सूचित किया गया। इस संदर्भ में ए.सी.एस. नगरीय विकास विभाग जयपुर व सचिव डीएलबी जयपुर की अध्यक्षता में आयुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर व नगर निगम, अजमेर की उपस्थिति में बैठक दिनांक 07.08.2019 को भी इस विषय में सूचित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जेएनएनयूआरएम योजनान्तर्गत अजमेर-पुष्कर के शेष बचे कार्यों को पूर्ण करने के लिए प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 11.02.2020 के बिन्दु सं. 15 से लिये गये निर्णयानुसार राशि रुपये 19 करोड़ रुपये के कार्य केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना को बन्द किये जाने के कारण प्राधिकरण स्तर पर कराये जाने का निर्णय लिया गया। जेएनएनयूआरएम योजना में स्थानीय निकाय के अंशदान 10 प्रतिशत में से आधा-आधा नगर विकास न्यास एवं नगर निगम अजमेर द्वारा वहन किया जाना है। उक्त राशि में से 50 प्रतिशत राशि अर्थात् राशि रुपये 9.5 करोड़ नगर निगम द्वारा वहन की जानी है जिसका समायोजन प्राधिकरण द्वारा नगर निगम को दी जाने वाली 15 प्रतिशत राशि से किया जायेगा।

द-बैठक में उपस्थित माननीया मेयर नगर निगम अजमेर ने अगला प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नगर निगम अजमेर की साधारण सभा की बैठक दिनांक 15.02.19 के प्रस्ताव सं. 12 के द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण की चद्रवरदायी नगर, हरिभाउ उपाध्याय नगर, बी.के.कौल नगर, पंचशील आदि योजनाओं को नगर निगम अजमेर को हस्तान्तरित करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया था। तत्पश्चात् नगर निगम अजमेर के पत्र क्रमांक योजना/34 दिनांक 09.04.19 पत्र क्रमांक योजना/344 दिनांक 20.06.19, पत्र क्रमांक योजना/612 दिनांक 21.08.19 पत्र क्रमांक योजना/1449 दिनांक 14.03.20 एवं पत्र क्रमांक योजना/1188-1189 दिनांक 23.03.21 द्वारा उक्त विकसित योजनाएं नगर निगम अजमेर को हस्तान्तरित किये जाने बाबत लिखा जा चुका है।

प्राधिकरण की बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर आयुक्त महोदय को निर्देशित किया कि एडीए की विकसित योजनाओं को हस्तान्तरित करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

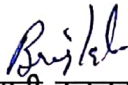
य-सभापति नगर पालिका किशनगढ़, में प्रतिनिधि द्वारा रामनेर की ढाणी, काली झुंगरी, गेगल आखरी, सराना, मोहनपुरा, जाटली व टोटडा, ग्राम में पट्टे नगर पालिका किशनगढ़ द्वारा जारी किये जायेगे या अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा, इस बाबत मार्ग दर्शन हेतु निवेदन किया।

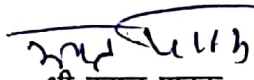
प्राधिकरण की बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा बाद चर्चा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श कर निदेशक आयोजना को निर्देशित किया कि इस बाबत राज्य

सरकार से प्राप्त विभिन्न सरकूलर का अवलोकन/परीक्षण कर एक स्पष्ट आदेश एडीए से जारी करवाकर आयुक्त नगर परिषद् किशनगढ़ को उचित कार्यवाही हेतु भेजने हेतु निर्देशित किया गया ।

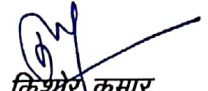
अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त घोषित की गई।


श्री प्रकाश राजपुरोहित
जिला कलक्टर, अजमेर
एवं अध्यक्ष अ.वि.प्रा,
अजमेर।


श्रीमती बृजलता
हाड़ा,
मेयर, नगर निगम,
अजमेर।


श्री कमल पाठक,
सभापति
नगर पालिका,
पुष्कर।

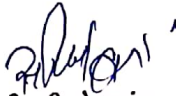

श्री अश्वय गोदारा,
आयुक्त, अ.वि.
प्रा, अजमेर


श्री किशोर कुमार,
सचिव,
अ.वि.प्रा अजमेर


श्री पुनित शर्मा,
वरिष्ठ नगर नियोजक,
अजमेर।


श्री मनोज कुमार
शर्मा
अधिकाशी
अभियन्ता
(प्रतिनिधि) जन
स्वास्थ्य
अभियान्त्रिकी .
विभाग, अजमेर।


श्री मुरारीलाल
मीणा, संभापति
मुख्य अभियन्ता,
अजमेर विद्युत
वितरण निगम,
लिमिटेड अजमेर।


श्री सी.के.भट्टनागर,
अधिकाशी
अभियन्ता,
(प्रतिनिधि)
सार्वजनिक
निर्माण विभाग।

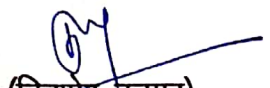

श्री त्रिलोचन
कुमावत अधिकाशी
अभियन्ता (प्रतिनिधि)
सभापति, नगर
परिषद् किशनगढ़

क्रमांक/अ.वि.प्रा/संस्था/प.1/2021/277-293

दिनांक 14-07-2021

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, अध्यक्ष, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
3. निजी सहायक, जिला कलक्टर, अजमेर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
5. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, महापौर, नगर निगम, अजमेर।
7. निजी सचिव, जिला प्रमुख, अजमेर
8. सभापति, नगर परिषद्, किशनगढ़, अजमेर।
9. सभापति, नगरपालिका बोर्ड, पुष्कर, अजमेर।
10. अति. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण, निगम लि., अजमेर।
11. अति. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, अजमेर।
12. मुख्य प्रबंधक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर।
13. उपायुक्त उत्तर/दक्षिण, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
14. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
15. निदेशक अभियांत्रिकी/आयोजना/वित्त/विधि, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
16. तहसीलदार, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
17. उप नगर नियोजक, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।


(किशोर कुमार)
सचिव,
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर